न्यायालय – सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, {पीलीभीत}

मूल वाद संख्या 28/2015

डा0 सर्वेश कुमार ––बनाम–– नगर पालिका परिषद।।

दिनांक 26.03.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 25क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में भूलवश वाद पत्र में कुछ तथ्यों का समावेश होने से रह गया है। जिनको समाहित किया जाना परम आवश्यक है। अतः वाद पत्र की चरण संख्या 11 के पश्चात् 11′ जोडकर धारा 326 नगर पालिका अधिनियम के नोटिस दिये जाने की बाध्यता से उन्मोचित किया जाये।

प्रतिवादी की ओर से अपनी मौखिक आपत्ति में विलम्ब का प्रश्न उठाते हुए हर्जे पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें की याचना की गयी है।

सुना एवं अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए न तो वादी अपने अभिवचनों को वापस ले रहा है और न ही प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति बदल रही है। अतः मुकदमें के त्वरित एवं अन्तिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है। जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से सम्भव है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 25क मु0 200/–रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, वॉछित संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 24.04.2019 को पेश हो।

सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।
26.03.2019